फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती पुष्पादेवी **विपक्षी : श्री वेणीराम**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 111/21**

जीसीएमएस : 2021/361

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 04.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थीया की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया की एकतरफा बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा डबोक पटवार हल्का डबोक तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 845 पर दर्ज आराजी नम्बर 1093, 1095, 1096, 1097, 1105 किता 5 कुल रकबा 0.1296 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीया द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। उसी के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। विपक्षी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि पर निर्माण करने से प्रार्थीया विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहती हैं। चूंकि वाद बंटवाडे का होने से यदि विपक्षी संख्या 1 को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 मौके पर नया निर्माण कार्य कर लेते है तो इससे प्रार्थीया के हक अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। चूंकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा डबोक पटवार हल्का डबोक तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 845 पर दर्ज आराजी नम्बर 1093, 1095, 1096, 1097, 1105 किता 5 कुल रकबा 0.1296 हेक्टेयर भूमि में विपक्षी संख्या 1 मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखे। किसी प्रकार का नया निर्माण कार्य नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:36 IST
Reason: SelfAttested